

न्यायालय :- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड मध्य-प्रदेश

प्रकरण क्रमांक 336 / 2015 सत्रवाद  
संस्थापित दिनांक 17-10-2015

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र  
मालनपुर जिला भिण्ड म0प्र0।

-----अभियोजन

**बनाम**

1. बारेलाल उर्फ डी.पी. उर्फ कल्लू पुत्र जगदीश जाटव, उम्र 24 वर्ष, निवासी ग्राम शेरपुर थाना एण्डोरी, हाल निवासी ग्राम नौनेरा थाना मालनपुर जिला भिण्ड म0प्र0
2. आरती जाटव पत्नी स्व0 कमलकिशोर जाटव उम्र 22 वर्ष, निवासी ग्राम नौनेरा थाना मालनपुर जिला भिण्ड म0प्र0

-----अभियुक्त

न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद श्री गोपेश गर्ग  
के न्यायालय के मूल आपराधिक प्र0कं0 718 / 2015 इ0फौ0  
से उदभूत यह सत्र प्रकरण कं0 336 / 2015

शासन द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री दीवान सिंह गुर्जर।  
अभियुक्त द्वारा श्री जी0एस0गुर्जर अधिवक्ता।

//निर्णय//

//आज दिनांक 11-07-2016 को घोषित किया गया//

01. वर्तमान में विचारित किये जा रहे आरोपीगण का विचारण धारा 302, 177, 193, 201 भा0द0सं0 के आरोप के संबंध में किया जा रहा है। उन पर आरोप है कि दिनांक 06.10.

2014 को या उसके करीब ग्राम नौनेरा थाना मालनपुर में मृतक कमलकिशोर की साशय या जानबूझकर मृत्यु कारित कर उसकी हत्या की। उन पर यह भी आरोप है कि उपरोक्त दिनांक या उसके करीब थाना प्रभारी मालनपुर को जो कि एक लोक सेवक है पर ऐसे लोक सेवक होने के नाते सूचना देने के लिए विधिक रूप से आवद्ध थे उन्हें मिथ्या रूप से यह इत्तला दी गई कि मृतक कमलकिशोर जाटव की हत्या बनवारी पुत्र मोतीलाल जाटव के द्वारा की गई जिसे कि वह मिथ्या होना जानते थे अथवा उसके मिथ्या होने का विश्वास था। उन पर यह भी आरोप है कि उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर आरोपीगण विधि द्वारा उपबन्द सत्य कथन करने हेतु जो कि मृतक कमलकिशोर की हत्या के संबंध में है जिसे सत्य बताने के लिए वह आवद्ध थे और उनके द्वारा इस संबंध में मिथ्या जानकारी दी गई जो कि जानबूझकर एवं विश्वास होना कि वह सत्य नहीं है इस प्रकार की मिथ्या साक्ष्य दी गई। उन पर यह भी आरोप है कि आरोपीगण के द्वारा साक्ष्य विलोपित करने के आशय से घटना में कमलकिशोर की हत्या के उपरान्त उसके मृत शरीर को फांसी पर लटकाया जिससे कि उनका कृत्य वैध दंड से प्रतिष्ठादित होगा।

02. प्रकरण में यह अविवादित है कि आरोपिया आरती मृतक कमलकिशोर की पत्नी है व आरोपी बरेलाल उर्फ डी.पी. मृतक कमलकिशोर का भानेज है, इस प्रकार आरोपीगण मामी एवं भानेज हैं। यह भी अविवादित है कि आरोपी बरेलाल उर्फ डी.पी. मृतक कमलकिशोर के घर ग्राम नौनेरा में ही रहता था।

03. अभियोजन प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से रहा है कि दिनांक 06.10.2014 को थाना मानलपुर में पर सूचनाकर्ता बनवारी के द्वारा सूचना दी गई कि दिनांक 05.10.2014 को वह खाना खाकर दरवाजे पर सो गया था और उसका भाई मकान के अंदर सोया था तथा उसके पास उसकी पत्नी सोई थी। रात्रि में उसके छोटे भाई की पत्नी आरती जगी तो उसका पति चारपाई पर नहीं था उसने देखा तो बरामदे में दुपट्टे से फांसी लगाकर लटका हुआ था तब उसने आवाज दी तो उसने जाकर देखा कि भाई की फांसी लगने से मृत्यु हो गई है। उक्त सूचना पर पुलिस थाना मालनपुर में मार्ग क्रमांक 34/14 अंतर्गत धारा 174 सी.आर.पी. सी. कायम किया गया। मार्ग की जांच की गई। सफीना फार्म जारी किया गया। लाश पंचायतनामा तैयार किया गया। लाश का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर के द्वारा मृतक की मृत्यु **Asphyxia due to compression of neck trachea** के कारण होना लेख किया था। मृतक कमलकिशोर के अस्पताल से प्राप्त विसरा, लीवर, लंस, हार्ड, एक शीलबंद डिब्बा में, एक शीलबंद पोटली, एक शीशी में नमक का घोल व शील नमूना जप्त किए गए। जप्तशुदा वस्तुएं जांच हेतु राज्य न्यायालयिक विज्ञान

प्रयोगशाला भेजी गई।

04. मृतक कमलकिशोर की मृत्यु के संबंध में पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक से उसकी मृत्यु के कारण के संबंध में अभिमत मांगते हुये उक्त संबंध में डॉक्टर से क्वेरी कराई गई, जिसमें डॉक्टर ने किसी प्रकार के फांसी के लिंगेचर मार्क एवं फांसी के अन्य कोई लक्षण नहीं होना बताया तथा **Possibility of strangulation** लेख किया जिस पर से मृतक की पत्नी से पूछताछ कर उसका कथन लिया गया, जिसमें उसने बताया कि उसके पति शराब पीकर जेठ बनवारी से झगडा कर मारपीट करते थे इसी कारण क्वार के दशहरा के एक दिन बाद जेठ बनवारी ने रात में सोते समय उसके पति की दुपट्टा से गला घोंटकर हत्या कर दी तथा लाश को छत के कुंदे पर लटका दिया और किसी को उक्त बात न बताने की धमकी दी। जिस पर से बनवारी के विरुद्ध अप0कं0 107/2015 धारा 302, 506बी भा0दं0वि0 का पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया तथा घटनास्थल के आसपास के साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए।

05. प्रकरण की अग्रिम विवेचना के दौरान यह तथ्य सामने आया कि आरोपिया आरती अपने पति से परेशान रहती थी। यह तथ्य भी सामने आया है कि उनके साथ उसी घर में रहने वाले उसके भान्जे आरोपी बरेलाल उर्फ डी.पी. के मध्य अवैध संबंध हो गये थे और उसी के चलते हुये मृतक कमलकिशोर की रात्रि में सोते समय दुपट्टा से गला घोंटकर हत्या कर दी गयी जो कि हत्या के अपराध के सबूत को मिटाने एवं जिससे कि वह दण्ड से प्रतिष्ठादित हो सके के उद्देश्य से आरोपीगण के द्वारा मृतक कमलकिशोर की हत्या करने के उपरान्त उसके शव को दुपट्टे से फंदा लगा दिया जिससे कि लोग यह सोचे कि उसने फांसी लगायी है। उक्त प्रकरण की विवेचना के दौरान आरोपीगण के द्वारा अपराध को छिपाने के उद्देश्य से आरोपिया आरती के जेठ एवं मृतक कमलकिशोर के बड़े भाई बनवारी का नाम पुलिस को बताया गया कि बनवारी के द्वारा रात के समय मृतक कमलकिशोर की हत्या कर दी गयी जो कि पुलिस को मिथ्या रूप से जानकारी दी गयी जो कि मिथ्या जानकारी होना जानते हुये भी पुलिस अधिकारी को उक्त जानकारी दी गयी। विवेचना में आये हुये साक्ष्य के उपरान्त उक्त दोनों आरोपीगण आरती एवं डी0पी0 उर्फ बरेलाल को गिरफ्तार किया गया उनका धारा 27 साक्ष्य विधान के तहत मेमोरेण्डम कथन लेखबद्ध किया गया। सम्पूर्ण अनुसंधान उपरान्त अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जो कि उपार्पण होने के उपरान्त माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार विचारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

06. विचारित किए जा रहे आरोपीगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टिया धारा 302, 177, 193, 201 भा0दं0वि0 का आरोप पाया जाने से आरोप लगाकर पढकर सुनाया समझाया गया। आरोपीगण ने जुर्म अस्वीकार किया उनकी प्ली लेखबद्ध की गई।

07. दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त परीक्षण में आरोपीगण ने स्वयं को निर्दोष होना बताते हुए झूठा फंसाया जाना अभिकथित किया है।

08. आरोपीगण के विरुद्ध आरोपित अपराध के संबंध में विचारणीय यह है कि:-

1. क्या दिनांक 06.10.2014 को या उसके करीब थाना मालनपुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम नौनेरा में मृतक कमलकिशोर की मृत्यु कारित हुई?
2. क्या मृतक कमलकिशोर की मृत्यु सदोष मानव वध की कोटि का है?
3. क्या आरोपीगण या किसी आरोपी के द्वारा सआशय या जानबूझकर मृतक की मृत्यु कारित कर हत्या की गई?
4. क्या आरोपीगण के द्वारा उपरोक्त दिनांक या उसके करीब थाना प्रभारी मालनपुर को जो कि एक लोक सेवक है, को ऐसे लोक सेवक होने के नाते सूचना देने के लिए विधिक रूप से आवद्ध थे उन्हें मिथ्या रूप से यह इत्तला दी गई कि मृतक कमलकिशोर जाटव की हत्या बनवारी पुत्र मोतीलाल जाटव के द्वारा की गई जिसे कि वह मिथ्या होना जानते थे अथवा उसके मिथ्या होने का विश्वास था?
5. क्या आरोपीगण के द्वारा उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर आरोपीगण विधिद्वारा उपबन्द सत्य कथन करने हेतु जो कि मृतक कमलकिशोर की हत्या के संबंध में है जिसे सत्य बताने के लिए वह आवद्ध थे और उनके द्वारा इस संबंध में मिथ्या जानकारी दी गई जो कि जानबूझकर एवं विश्वास होना कि वह सत्य नहीं है इस प्रकार की मिथ्या साक्ष्य दी गई?
6. क्या आरोपीगण के द्वारा साक्ष्य विलोपित करने के आशय से घटना में कमलकिशोर की हत्या के उपरांत उसके मृत शरीर को फांसी पर लटकाया जिससे कि उनका कृत्य वैध दंड से प्रतिच्छादित हो सके ?

—: सकारण निष्कर्ष:-

बिन्दु क्रमांक 1 व 2 :-



09. घटना दिनांक 6-10-14 को मृतक कमलकिशोर की मृत्यु हो जाना अभियोजन साक्षी जानकी बाई अ0सा0 1, बालकिशन अ0सा0 2, बलवंत अ0सा0 3, मुन्नीबाई अ0सा0 4, सीताराम अ0सा0 5, हरगोबिंद अ0सा0 6, विनोद अ0सा0 7, सुनीता अ0सा0 8, किशन अ0सा0 9, टीकाराम अ0सा0 11, बनवारी अ0सा0 12, दलबीर अ0सा0 14 के कथन से भी होती है, जिन्होंने कि मृतक कमलकिशोर की मृत्यु हो जाना बताया है। मृत्यु के पश्चात् शव का नक्शा पंचायतनामा तैयार किया गया है जो कि नक्शा पंचायतनामा प्र.पी. 12 तैयार करना साक्षी टीकाराम अ0सा0 11 के द्वारा प्रमाणित किया गया है तथा आरोपी पक्ष के द्वारा उक्त नक्शा पंचायतनामा को स्वीकार भी किया गया है। चिकित्सक डॉक्टर ए0के0मुद्गल अ0सा010 के द्वारा मृतक कमलकिशोर का शवपरीक्षण करना बताया गया है। इस प्रकार मृतक कमलकिशोर की मृत्यु हो जाना उपरोक्त साक्ष्य से प्रमाणित है।

10. मृतक कमलकिशोर की मृत्यु की प्रकृति का जहां तक प्रश्न है, डॉक्टर ए.के. मुद्गल अ0सा0 10 के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में बताया है कि दिनांक 06.10.2014 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोहद में मेडीकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ दौरान मृतक कमलकिशोर निवासी ग्राम नौनेरा का शव परीक्षण उनके द्वारा उक्त दिनांक को 12 बजे प्रारंभ किया था। **वाह्य परीक्षण-** मृतक की गर्दन पर लिगेचर मार्क नहीं था और न ही नाक या मुँह से खून आ रहा था। मृतक के शरीर का निचला भाग टांगों में अकड़न मौजूद थी, गर्दन पर एब्रेजन मार्क जो कि संख्या में 2-3 थे जो कि गर्दन के पिछले भाग पर बगल में तथा अगले भाग पर उपस्थित थे। गर्दन की दाहिनी तरफ गहरे रंग के एब्रेजन थे तथा दाहिने कान के नीचे चार पांच एब्रेजन मार्क थे तथा शरीर के अन्य भागों में किसी प्रकार की चोट के निशान नहीं थे। **आंतरिक परीक्षण-** मृतक के वच्छस्थल का आंतरिक परीक्षण कर देखा तो फुसफुस के आवरण हल्का गुलाबी रंग का था, कंठ और स्वासनली खाली थी, दाया व बाया फेफड़ा कंजस्टेड थे, हृदय का दाहिना भाग खून से भरा हुआ था और बाया भाग खाली था। पेट के अंदर अधपचा भोजन पाया गया था, छोटी आंत खाली थी, बड़ी आंत भी खाली थी। शरीर के विसरा, कपडे तथा आँत, लीवर, किडनी, लंस व हृदय स्पलीन को अग्रिम जाँच हेतु शील्ड कर नमक के खोल में रखकर कैकिमल जाँच हेतु संबंधित आरक्षक को दे दिए थे। उक्त साक्षी के द्वारा अपने अभिमत में मृतक के मृत्यु एक्सपेसिया के कारण होना, जो कि गर्दन में ट्रेकिया के दबने के कारण हो सकना बताया है। उनके द्वारा तैयार पी.एम रिपोर्ट प्र. पी. 10 है जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं।

11. उक्त चिकित्सक डॉ0ए0के0मुद्गल से थाना प्रभारी मालनपुर के द्वारा क्वेरी रिपोर्ट मृतक कमलकिशोर की पी.एम. रिपोर्ट के संबंध में मांगी गई थी, इस संबंध में

चिकित्सक के द्वारा क्वेरी रिपोर्ट के जबाव में भी मृतक की मृत्यु गर्दन पर दबाव होने पर एक्सपेसिया के कारण होना तथा इसमें इस बात का उल्लेख कि दबाव टिपीकल हैंगिंग जैसा नहीं है। गर्दन पर अनियमित प्रकार के एबरेजन पाए गए थे जो कि टिपीकल हैंगिंग में होने नहीं पाए जाते। टिपीकल हैंगिंग में जो सेलाइवा मुंह के कोने से बहकर निकलता है वह भी नहीं पाया गया था। मृतक की जीभ की जो स्थिति थी वह भी टिपीकल हैंगिंग जैसी नहीं थी। इस संबंध में अभिमत के अनुरूप मृतक की मृत्यु इस्ट्रेंगुलेशन (गले पर दबाव) से होना स्पष्ट करते हुए क्वेरी रिपोर्ट प्र.पी. 23 है।

12. उक्त चिकित्सक साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव से इन्कार किया है कि मृतक के सिर में जो चोट के निशान थे वह स्वयं के द्वारा कारित नहीं हो सकते हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्पष्ट किया है कि फांसी लगाने पर व्यक्ति की जीभ से स्लाइवा निकलता है और जीभ से स्लाइवा निकलने के निशान उसकी मृत्यु के बाद तब तक रहते हैं जब तक कि लाश बिल्कुल सड़ न जाए। इस सुझाव से इन्कार किया है कि मृतक की मृत्यु फांसी लगाने से संभव है। इस प्रकार उसकी मृत्यु हैंगिंग से होने के सुझाव को साफतौर से इन्कार किया है। चिकित्सक डॉ0ए0के0मुदगल के प्रतिपरीक्षण उपरांत उनके कथनों में कोई विपरीत तथ्य नहीं आया है जिससे कि उनके द्वारा किये गये कथन की विश्वसनीयता प्रभावित होती हो ।

13. मृतक कमलकिशोर के पोस्टमार्टम करने के दौरान उसके गर्दन पर कोई लिगेचर मार्क नहीं था बल्कि उसकी गर्दन पर एबरेजन मार्क जो कि संख्या में 2-3 थे गर्दन के पिछले भाग पर तथा अगले भाग पर स्थित थे एवं गर्दन की दाहिनी तरफ गहरे रंग के एबरेजन थे और कान के नीचे भी चार पांच एबरेजन पाये गये थे । इस संबंध में चिकित्सक के द्वारा मृतक के जीभ में किसी भी प्रकार का सेलायवा मुंह के कोने से बाहर गिरता हुआ नहीं पाया गया । इस परिप्रेक्ष्य में जबकि मृतक की गर्दन पर कोई भी लिगेचर मार्क नहीं था एवं न ही उसके मुंह से कोई स्लायवा मृत्यु के पश्चात् निकल रहा था जो कि किसी व्यक्ति के द्वारा फांसी लगायी जाये तो उसे लिगेचर मार्क होना तथा मुंह से स्लायवा निकलना उसके आवश्यक लक्षण हैं । यह भी उल्लेखनीय है कि मृतक कमलकिशोर की मृत्यु के पश्चात् उसके शव का जो पंचायतनामा बनाया गया है उक्त लाश पंचायतनामा प्र0पी0 12 जो कि आरोपीगण के द्वारा स्वीकार भी किया गया है, उक्त लाश पंचायतनामा बनाते समय भी उसकी लाश उसके मकान के तिवार में चित्त अवस्था में रखा गया था । इस प्रकार लाश पंचायतनामा बनाते समय वह फांसी से लटका हो ऐसा भी लाश पंचायतनामा से कहीं दर्शित नहीं होता, बल्कि मृतक के शव को जमीन पर रखा गया था और गले में दुपट्टा लिपटा हुआ

था । जैसा कि लाश पंचायतनामा से भी स्पष्ट होता है ।

14. इस प्रकार प्रकरण में आयी हुयी उक्त स्पष्ट चिकित्सीय अभिमत के आधार पर कमलकिशोर के द्वारा आत्महत्या करने से उसकी मृत्यु होना कहीं भी नहीं पाया जाता बल्कि कमलकिशोर की मृत्यु उसके गला घोटने से होना चिकित्सक के द्वारा स्पष्ट रूप से बताया गया है । उसके गले में कोई लिगेचर मार्क होना भी नहीं पाया और न ही कोई स्लाईवा उसके मुंह से निकलते हुये पाया गया । इस परिप्रेक्ष्य में कमलकिशोर की मृत्यु आत्महत्यात्मक प्रकार की होना नहीं पायी जाती बल्कि उसकी मृत्यु सदोष मानव वध की कोटि में आकर हत्यात्मक प्रकार की होना पायी जाती है ।

### **विचारणीय बिन्दु कमांक 3 लगायत 5 :-**

15. इस प्रकार प्रकरण में आयी हुयी साक्ष्य से मृतक कमलकिशोर की मृत्यु सदोष मानव वध की कोटि का होकर हत्यात्मक प्रकार का होना प्रमाणित है । अब विचारणीय हो जाता है कि क्या कमलकिशोर की हत्या आरोपीगण के द्वारा ही सआशय या जानबूझकर की गयी एवं उनके द्वारा साक्ष्य का विलोपन किया गया तथा मिथ्या जानकारी एवं मिथ्या साक्ष्य इस संबंध में दी गयी ।

16. मृतक कमलकिशोर की मृत्यु जो कि रात के 12-01 बजे होनी बताई गई है उसकी मृत्यु उसके घर के कमरे में ही हुई है यह उल्लेखनीय है । ऐसी दशा में किसी चक्षुदर्शी साक्षी जिसके द्वारा कि घटना देखी गई हो उसकी मौजूदगी या उसके द्वारा घटना देखी जाने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है । अभियोजन का प्रकरण में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत परिस्थितिजन्य साक्ष्य एवं अन्य साक्ष्य पर निर्भर रहता है । प्रकरण में अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत संपूर्ण साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में आरोपित अपराध की प्रमाणिकता के संबंध में विचारण किया जाना उचित होगा । इस संबंध में अभियोजन के द्वारा आरोपीगण के द्वारा की गयी न्यायिकोत्तर संस्वीकृति तथा परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर प्रकरण को प्रमाणित करना बताया है ।

17. **न्यायिकोत्तर संस्वीकृति:-** आरोपीगण के द्वारा की गई संस्वीकृति एवं न्यायिकोत्तर संस्वीकृति का जहाँ तक प्रश्न है, आरोपीगण बरेलाल उर्फ डी.पी. तथा आरोपिया आरती के द्वारा न्यायिकोत्तर संस्वीकृति के संबंध में अभियोजन प्रकरण के अनुसार आरोपी आरती के द्वारा साक्षी जानकी बाई के समक्ष यह स्वीकार किया गया था कि उसने एवं बरेलाल ने मिलकर के दुपट्टे से गला घोटकर रात में सोते समय कमलकिशोर को मार डाला था । इस संबंध में अन्य अभियोजन साक्षी बालकिशन को आरोपी डी.पी. उर्फ बरेलाल

के द्वारा यह बताया गया था कि उसने व आरती ने मिलकर कमलकिशोर की दुपट्टे से रात में गला घोटकर हत्या कर उसे कुंदे से लटका दिया था। इसके अतिरिक्त अभियोजन के द्वारा यह भी बताया गया है कि आरोपी आरती एवं आरोपी डी.पी. उर्फ बरेलाल के द्वारा पूछताछ के दौरान पुलिस के समक्ष उनके द्वारा अपराध कारित करने के तथ्य को स्वीकार किया गया है। इस संबंध में मेमोरेण्डम प्र.पी. 16 व 18 के दस्तावेजों के परिप्रेक्ष्य में अपराध की स्वीकारोक्ति की जानी बताई गई है।

18. सर्वप्रथम आरोपिया आरती तथा आरोपी डी.पी. उर्फ बरेलाल के द्वारा पुलिस के समक्ष अपराध की स्वीकारोक्ति के संबंध में पुलिस को दिए गए स्वीकारोक्ति प्रकार के कथन का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई कोई स्वीकारोक्ति साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होगी जो कि धारा 25 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई स्वीकारोक्ति मान्य नहीं होगी। ऐसी दशा में आरोपीगण के द्वारा इस संबंध में बताई गई स्वीकारोक्ति के आधार पर उनके विरुद्ध अपराध की प्रमाणिकता सिद्ध नहीं मानी जा सकती है।

19. जहाँ तक न्यायिकोत्तर संस्वीकृति का प्रश्न है, इस बिन्दु पर अभियोजन के द्वारा साक्षी जानकी बाई अ0सा0 1 तथा बालकिशन अ0सा0 2 के रूप में अभियोजन के द्वारा परीक्षित कराए गए हैं, किन्तु उक्त दोनों ही साक्षियों के कथनों में कहीं भी आरोपिया आरती अथवा आरोपी डी.पी. उर्फ बरेलाल के द्वारा उन्हें कमलकिशोर की हत्या करने के संबंध में किसी प्राकर की कोई ऐसी बात जो कि संस्वीकृति के प्रकार की हो साक्ष्य कथन में नहीं बताई गई है। उक्त दोनों ही साक्षीगण को अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। इस संबंध में साक्षिया जानकी बाई अ0सा0 1 तथा साक्षी बालकिशन अ0सा0 2 को सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, किन्तु इस दौरान भी उनके कथनों में आरोपी आरती अथवा आरोपी बरेलाल उर्फ डी.पी. के द्वारा किसी भी प्रकार की न्यायिकोत्तर संस्वीकृति जिसमें कि उनके अपराध में संलग्न होने अथवा उनके द्वारा अपराध कारित किये जाने का तथ्य के बारे में कोई मान्य योग्य साक्ष्य हो नहीं बताई गई है, इस परिप्रेक्ष्य में न्यायिकोत्तर संस्वीकृति जो कि अभियोजन के द्वारा आरोपीगण के द्वारा की जानी बताई जा रही है के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध की प्रमाणिकता सिद्ध नहीं होती है।

20. उपरोक्त संबंध में अभियोजन के द्वारा परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर प्रकरण को प्रमाणित होना बताया है। अभियोजन के द्वारा मृतक कमलकिशोर की हत्या होने के संबंध में आरोपीगण के संलग्न होने बावत् जो परिस्थितियाँ प्रमुख रूप से बताई गई है वह इस प्रकार से हैं:-



1. आरोपी आरती एवं डी.पी. उर्फ बारेलाल का एक ही घर में रहना और रात को ही आरोपी डी.पी. उर्फ बारेलाल के द्वारा कमलकिशोर की मृत्यु के बारे में बताना।
  2. मृतक कमलकिशोर की मृत्यु के बाद दोनों ही आरोपिया का अकेले में बात करा एवं इकट्ठा रहना।
  3. दोनों ही आरोपियों के द्वारा कमलकिशोर की मृत्यु के बाद विवाह कर लेना।
  4. मृतक की हत्या करने के लिये हेतुक होना।
21. अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के साक्ष्य कथन का जहाँ तक प्रश्न है, अभियोजन के साक्षी जानकी बाई अ0सा0 1, बालकिशन अ0सा0 2, बलवंत अ0सा0 3, मुन्नीबाई अ0सा0 4, सीताराम अ0सा0 5, हरगोविंद अ0सा0 6, विनोद अ0सा0 7, सुनीता अ0सा0 8, किशन कोटवार अ0सा0 9, टीकाराम अ0सा0 11, बनवारी अ0सा0 12, दलवीरसिंह अ0सा0 14 जो कि घटना के तथ्य के बारे में जानकारी रखने वाले साक्षी बताए गए हैं को अभियोजन के द्वारा पेश किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि उपरोक्त सभी अभियोजन साक्षीगण पक्षद्रोही रहे हैं और उन्हें अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया जाकर सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, उक्त साक्षीगण जो कि दोनों ही आरोपिया के ही सदस्यगण एवं उसी गांव के लोग हैं के द्वारा किन्हीं अज्ञात से अभियोजन प्रकरण जैसा बताया जा रहा है उस प्रकार से उसका समर्थन नहीं किया है। इस परिप्रेक्ष्य में अभियोजन के द्वारा उन्हें पक्षद्रोही घोषित किया गया है। पक्षद्रोही साक्षियों के साक्ष्य कथन का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा **सतपालसिंह वि0 दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ए.आई. आर. 1976 पे. 294, स्टेट ऑफ यू.पी. वि0 चेताराम ए.आई.आर. 1989 एस.सी. 1543, खुज्जी उर्फ सुरेन्द्र तिवारी वि0 स्टेट ऑफ एम.पी. ए.आई.आर. 1991** में यह अभिधारित किया गया है कि यदि गवाह पक्षद्रोही हो जाए तो इस कारण उनकी पूरी साक्ष्य वासआउट या निरर्थक नहीं हो जाती, न्यायालय को सामान्यतः उनके कथनों की पुष्टि देखनी चाहिए। इस प्रकार के साक्षियों के कथनों यदि अभियोजन प्रकरण को समर्थन या सम्पुष्ट करने वाला कोई साक्ष्य आया है तो उसको उपयोग में लाया जा सकता है और इस आधार पर आरोपीगण को दोषसिद्ध ठहराया जा सकता है।
22. अभियोजन के द्वारा आरोपीगण के अपराध में संलग्न होना और घटना कारित करने के संबंध में निम्न परिस्थितियां बतायी गयी हैं जिन पर विचार किया जाना उचित होगा।
- प्रथम परिस्थिति— दोनों ही आरोपीगण का एक ही घर में रहना और रात को ही आरोपी डी.पी. उर्फ बारेलाल के द्वारा कमलकिशोर की मृत्यु के**

### **बारे में बताना :-**

23. प्रकरण में यह अविवादित है कि आरोपिया आरती मृतक कमलकिशोर की पत्नी है और यह भी अविवादित है कि आरोपी बारेलाल उर्फ डी.पी. मृतक कमलकिशोर का भान्जा है अर्थात् आरोपिया आरती उसकी मामी लगती है और प्रकरण में आई हुई साक्ष्य के आधार पर साक्षी जानकी बाई अ0सा0 1, सीताराम अ0सा0 5, हरगोविंद अ0सा0 6, विनोद अ0सा0 7 के अखण्डनीय न्यायालयीन कथन से स्पष्ट रूप से यह प्रमाणित होता है कि आरोपीगण डी.पी. उर्फ बारेलाल अपने मामा मृतक कमलकिशोर के घर पर ही रहता था, जहाँ कि अन्य आरोपिया आरती भी उसी घर में रहती थी और अपने मामा के यहाँ रहना आरोपी बारेलाल के द्वारा भी अभियुक्त परीक्षण में पूछे गए प्रश्नों को भी स्वीकार किया गया है। इस प्रकार आरोपी डी.पी. उर्फ बारेलाल एवं आरोपिया आरती के ग्राम नोनेरा में उसी घर में रहते थे जिसमें मृतक कमलकिशोर रहता था।

24. यह उल्लेखनीय है कि घटना की रात को भी आरोपिया आरती और आरोपी डी.पी. उर्फ बारेलाल उसी घर में मौजूद थे जिस घर में कमलकिशोर की मृत्यु हुई थी जो कि इस संबंध में अभियोजन साक्षी बनवारी अ0सा0 12 के द्वारा स्पष्ट रूप से अपने मुख्य परीक्षण में बताया है कि घटना दिनांक को आरोपी डी.पी. घर में ही छत पर सो रहा था। इस संबंध में इस बिन्दु पर कोई प्रतिपरीक्षण उक्त साक्षी का नहीं हुआ है। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि इस बिन्दु पर अभियुक्त परीक्षण में प्रश्न कं04 में अभियुक्त बारेलाल एवं अभियुक्ता आरती को इस बारे में पूछे जाने पर उसे पता न होना बताया है।

25. इस बिन्दु पर यह भी उल्लेखनीय है कि अभियोजन साक्षी जानकी बाई अ0सा0 1 जो कि मृतक कमलकिशोर की बहन है के द्वारा यह बताया गया है कि वह अपने मायके ग्राम नोनेरा में ही रहते हैं और यह भी बताया है कि जब उसका भाई कमलकिशोर खत्म हुआ था उस समय वह अपने घर (उसी घर में) में थी। साक्षिया को अभियोजन के द्वारा सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, इस दौरान भी साक्षिया ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि जब वह अपने घर में थी उसी समय रात को ही आरोपी डी.पी. ने बताया था कि कमलकिशोर फाँसी लगाकर खत्म हो गया है तो वह रात को ही कमलकिशोर के घर पहुँच गई थी। यह उल्लेखनीय है कि उक्त साक्षिया का कोई भी प्रतिपरीक्षण बचाव पक्ष के द्वारा नहीं किया गया है। ऐसी दशा में उक्त साक्षिया जानकी बाई के कथन से भी यह तथ्य प्रमाणित होता है कि रात को ही आरोपी डी.पी. के द्वारा कमलकिशोर की मृत्यु होने की सूचना उसे दी गई थी। इस प्रकार घटना दिनांक को दोनों ही आरोपीगण अर्थात् कमलकिशोर की पत्नी आरोपिया आरती और उसका भानेज अर्थात् आरोपी डी.पी. उर्फ बारेलाल एक ही घर में रहने और

आरोपी डी.पी. उर्फ बरेलाल के द्वारा रात को ही कमलकिशोर की मृत्यु के बारे में यह बताना कि वह फाँसी लगाकर खत्म हो गया है का तथ्य इस बात को दर्शाता है कि दोनों ही आरोपीगण को मृतक कमलकिशोर की मृत्यु किस प्रकार से हुयी इस बारे में जानकारी थी ।

**दूसरी परिस्थिति-मृतक कमलकिशोर की मृत्यु के बाद आरोपीगण के अकेले में बात करना एवं इकठ्ठे रहना-**

26. अभियोजन के द्वारा बतायी गयी उपरोक्त परिस्थिति जिसमें कि मृतक कमलकिशोर की मृत्यु के बाद आरोपीगण के अकेले में बात करना और इकठ्ठे रहने का जहाँ तक प्रश्न है, इस बिन्दु पर साक्षिया जानकी बाई अ0सा0 1 के द्वारा सूचक प्रश्नों के द्वारा पूछे जाने पर कंडिका 3 के अंत में इस बात को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि दोनों ही आरोपी बार बार अकेले में बात कर रहे थे और कंडिका 4 में इस बात को स्वीकार किया है कि कमलकिशोर की मृत्यु के पश्चात् दोनों इकठ्ठे रहने लगे थे। साक्षिया के द्वारा की गई उपरोक्त स्वीकारोक्ति प्रकार के कथन का कोई भी प्रतिपरीक्षण नहीं हुआ है । इस प्रकार उसका इस संबंध में किया गया परीक्षण अखण्डनीय रहा है । उपरोक्त बिन्दु के संबंध में अभियोजन साक्षी किशन अ0सा0 9 के द्वारा भी बताया गया है कि आरोपीगण मृतक कमलकिशोर की मृत्यु के बाद साथ- साथ रहने लग गए थे। इस प्रकार मृतक कमलकिशोर की मृत्यु के बाद दोनों आरोपियों का बार बार अकेले में बातचीत करना और दोनों के इकठ्ठे रहना उक्त साक्ष्य के आधार पार प्रमाणित होता है। बचाव पक्ष के द्वारा इस संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण पेश नहीं किया गया है ।

**तृतीय परिस्थिति- मृतक की मृत्यु के पश्चात् आरोपी डी.पी. उर्फ बरेलाल एवं आरोपिया आरती के द्वारा विवाह कर लेना:-**

27. अभियोजन के द्वारा बतायी गयी अन्य परिस्थिति जो कि मृतक की मृत्यु के पश्चात् आरोपी डी.पी. उर्फ बरेलाल एवं आरोपिया आरती के द्वारा विवाह कर लेने का जहाँ तक प्रश्न है, इस बिन्दु पर साक्षी किशन अ0सा0 9 जो कि ग्राम नोनेरा का कोटवार है के द्वारा अपने कथन में इस बात को स्वीकार किया है कि बाद में कमलकिशोर की पत्नी आरोपिया आरती ने बरेलाल से विवाह कर लिया था। उक्त साक्षी का उपरोक्त बिन्दु पर कोई भी प्रभावी प्रतिपरीक्षण नहीं हुआ है जिससे कि उक्त साक्ष्य कथन प्रतिखण्डित होता हो। इस बिन्दु पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह भी है कि अभियोजन साक्षी हरगोविंद अ0सा0 6 से स्वयं बचाव पक्ष अधिवक्ता के द्वारा यह सुझाव देते हुए प्रश्न पूछा गया है कि आरोपिया आरती के द्वारा पुनः शादी आरोपी डी.पी. उर्फ बरेलाल के साथ कर ली है जिसे कि साक्षी के द्वारा स्वीकार करते हुए उक्त आरोपी को पुनः विवाह आरोपी डी.पी. उर्फ बरेलाल के साथ उसके

पति की मृत्यु के 4-5 महीने बाद हो जाने की बात को स्वीकार किया है। इस प्रकार इस बिन्दु पर स्वयं बचाव पक्ष के द्वारा प्रतिपरीक्षण में दिए गए उपरोक्त सुझाव जिन्हें कि अभियोजन साक्षियों के द्वारा स्वीकार किया गया है तथा अन्य साक्षी किशन अ0सा0 9 जो कि गांव का कोटवार है के द्वारा भी इस बिन्दु पर किये गए अभियोजन प्रकरण के समर्थन के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि मृतक कमलकिशोर की मृत्यु के बाद दोनों के द्वारा आपस में शादी कर ली गई।

28. निश्चित तौर से जबकि आरोपीगण दोनों एक ही घर में रहते थे । मृतक कमलकिशोर की हत्या दोनों ही आरोपियों के बीच अवैध संबंधों के कारण उसकी हत्या की जाना बताया जा रहा है । प्रकरण में अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य एवं इस संबंध में बचाव पक्ष के द्वारा दिए गए सुझावों में स्पष्ट रूप से यह आया है कि आरती का पति मृतक कमलकिशोर शराब पीकर आरती से झगड़ता था, जैसा कि इस संबंध में साक्षी जानकी बाई अ0सा0 1 के मुख्य परीक्षण के कथन, सीताराम अ0सा0 5 को पक्षद्रोही घोषित कर पूछे गए सूचक प्रश्नों में और साक्षी बनवारी अ0सा0 12 के मुख्य परीक्षण के अखण्डनीय कथनों से भी स्पष्ट है कि मृतक कमलकिशोर की पत्नी आरोपिया आरती अपने पति से परेशान रहती थी और प्रकरण में आई हुई साक्ष्य से यह भी प्रमाणित है कि आरोपिया आरती का संबंध आरोपी बरेलाल उर्फ डी.पी. से हो गया था जो कि उसी घर में रहता था। इस प्रकार मृतक कमलकिशोर की हत्या करने हेतु उक्त हेतुक होना भी स्पष्ट होता है जो कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामलों में एक महत्वपूर्ण तथ्य होता है ।

29. अभियोजन के द्वारा प्रमाणित की गयी उपरोक्त परिस्थितियों जो कि उनके द्वारा प्रमाणित की गयी है उसका कोई भी स्पष्टीकरण बचाव पक्ष के द्वारा नहीं दिया गया है और न ही कोई अन्य स्थिति इस संबंध में दर्शायी या बतायी गयी है जिससे कि मृतक कमलकिशोर की मृत्यु किसी अन्य प्रकार से होने का तथ्य दर्शित होता हो ।

30. इस प्रकार प्रकरण में अभियोजन के द्वारा प्रमाणित की गयी परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में केवल एक ही अवधारणा की जा सकती है कि मृतक कमलकिशोर की हत्या आरोपिया आरती एवं आरोपी डी0पी0 उर्फ बरेलाल के द्वारा ही की गयी है । इसके अतिरिक्त इस संबंध में कोई भी अन्य परिकल्पना नहीं की जा सकती । इस प्रकार प्रकरण में अभियोजन के द्वारा प्रमाणित की गयी परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में यही प्रमाणित होना पाया जाता है कि आरोपीगण आरती एवं डी0पी0 उर्फ बरेलाल के द्वारा ही सआशय या जानबूझकर मृतक कमलकिशोर की मृत्यु कारित कर उसकी हत्या की गयी ।

31. मृतक कमलकिशोर की मृत्यु जो कि घर के नीचे कमरे में हुई थी। इस संबंध



में मर्ग सूचना साक्षी बनवारी के द्वारा दी गई, मर्ग की जाँच के दौरान आरोपिया आरती के कथन भी लिए गए थे जैसा कि थाना प्रभारी/विवेचक शिवसिंह अ0सा0 16 के द्वारा कथन में बताया गया है, जिसमें कि आरोपिया आरती के द्वारा उसके पति मृतक कमलकिशोर की हत्या उसके जेठ बनवारी के द्वारा दुपट्टे से गला घोटकर कर देने की बात बताई गई थी और इस आधार पर आरोपी बनवारी के विरुद्ध धारा 302, 506बी भा0द0वि0 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 21 की दर्ज की गई है जो कि इस संबंध में अग्रिम विवेचना में आए हुए साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में साक्षी बनवारी को आरोपिया के द्वारा गलत रूप से लिप्त करना पाये जाने के परिप्रेक्ष्य में विवेचना के दौरान आरोपी आरती एवं आरोपी डी.पी. उर्फ बारेलाल को आरोपी होना पाया गया।

32. इस बिन्दु पर अभियोजन साक्षी बनवारी अ0सा0 12 के द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि बाद में गांव में पुलिस आई थी तब उसे पता लगा था कि कमलकिशोर ने खुद फाँसी नहीं लगाई है किसी ने उसे मारा है और उसका नाम इस केस में आरोपी के रूप में आरती ने लिखा दिया था। साक्षी को पूछे गये सूचक प्रश्नों के दौरान भी साक्षी ने साफतौर से इस बात को स्वीकार किया है कि आरोपिया आरती व डी.पी. ने खुद को बचाने के लिए उसका झूठा नाम लिखवा दिया था। इस बिन्दु पर उक्त साक्षी बनवारी के द्वारा किया गया कथन प्रतिपरीक्षण उपरांत अखण्डनीय रहा है। उक्त साक्षी के कथन के परिप्रेक्ष्य में तथा इस बिन्दु पर विवेचना अधिकारी के द्वारा यह बताया गया है कि विवेचना के दौरान आरोपी के रूप में आरोपी आरती और बारेलाल का होना पता चला था। उनके द्वारा यह भी बताया गया है कि आरोपी आरती के द्वारा पूर्व में जाँच के दौरान कथन देते समय उसके जेठ बनवारी के द्वारा उसके पति कमलकिशोर के गले में दुपट्टा डालकर खींच देना जिससे कि उसके पति की मृत्यु हो जाने और फिर दुपट्टे को छत के कुंदे पर लटकाकर उसके द्वारा यह कहना कि पति कमलकिशोर ने फाँसी लगा ली है की बात बताई गई थी जो कि प्र.डी. 1 के ए से ए भाग का कथन साक्षी आरोपिया के द्वारा देना विवेचना अधिकारी के द्वारा बताया गया है।

33. यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में आई हुई सम्पूर्ण साक्ष्य के आधार पर यह प्रमाणित होना पाया गया है कि मृतक कमलकिशोर की हत्या में वर्तमान आरोपीगण आरोपी एवं बारेलाल उर्फ डी.पी. शामिल रहे हैं और उनके द्वारा ही उसकी हत्या की गयी। इस संबंध में बचाव पक्ष अधिवक्ता के द्वारा विवेचना अधिकारी से यह पूछा गया है कि आरोपिया आरती के द्वारा दिया गया उपरोक्त कथन के आधार पर उनके द्वारा कोई विवेचना की गई अथवा नहीं और विवेचना में आरती के कथन क्यों नहीं लिये गए जो कि विवेचना

अधिकारी के द्वारा इस संबंध में विवेचना में आरोपिया के कथन लेखबद्ध करना आवश्यक न होना बताया है। निश्चित तौर से प्रकरण में जबकि विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्य से आरोपी बालेलाल उर्फ डी.पी. एवं आरोपिया के घटना में संलग्न होने के संबंध में साक्ष्य आ गई थी तथा इस परिप्रेक्ष्य में यदि विवेचना अधिकारी के द्वारा उक्त बिन्दु पर विवेचना के दौरान आरोपिया आरती के कथन नहीं लिए गए हैं तो इससे अभियोजन प्रकरण की प्रमाणिकता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार प्रकरण में आई हुई साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट है कि मृतक कमलकिशोर की मृत्यु जो कि वर्तमान आरोपी आरती एवं बालेलाल के द्वारा की गई थी उसकी मृत्यु के पश्चात् पुलिस को उसकी मृत्यु के संबंध में मिथ्या जानकारी दी गई एवं यह भी प्रमाणित होता है कि मृतक की मृत्यु के पश्चात् मृतक के शव के गले में दुपट्टा लपेटकर यह दर्शाने का प्रयास किया कि उसने आत्महत्या कर ली है जिससे कि साक्ष्य का विलोपन हो सकेगा और आरोपी वैधदण्ड से प्रतिच्छादित हो सकें।

34. अतः उपरोक्त विवेचना एवं विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में आयी हुयी संपूर्ण अभियोजन साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में यह प्रमाणित होना पाया जाता है कि दिनांक 6-10-14 को ग्राम नोनेरा थाना मालनपुर में आरोपिया आरती एवं आरोपी डी0पी0 उर्फ बालेलाल के द्वारा कमलकिशोर की सआशय या जानबूझकर हत्या कारित की। प्रकरण में साक्ष्य के आधार पर यह भी प्रमाणित होता है कि कमलकिशोर की हत्या के उपरांत मृतक के शव पर फांसी पर लटका दिया जिससे कि वैधदण्ड से प्रतिच्छादित हो सकें। अभियोजन साक्ष्य के आधार पर यह भी प्रमाणित है कि मृतक कमलकिशोर की मृत्यु के संबंध में जानबूझकर मिथ्या जानकारी पुलिस को दी गयी एवं उनके द्वारा मिथ्या साक्ष्य न्यायिक कार्यवाही के दौरान उपयोग में लायी जा सके इस प्रकार का मिथ्या कथन पुलिस को देते हुये मिथ्या साक्ष्य गठी

35. तदनुसार आरोपीगण आरती एवं डी0पी0 उर्फ बालेलाल को धारा 302 भा0दं.वि0 एवं 201 भा0दं.वि0 एवं धारा 177 और 193 भा0दं.वि0 के अन्तर्गत दोष सिद्ध ठहराया जाता है

36. दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने के लिये निर्णय लेखन स्थगित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी.सी.थपलियाल)

अपर सत्र न्यायाधीश

गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0

**पुनश्चय:-**

37. दण्ड के प्रश्न पर आरोपीगण के विद्वान अभिभाषक एवं शासन की ओर से अपर

लोक अभियोजक को सुना गया । अपर लोक अभियोजक के द्वारा व्यक्त किया गया कि मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में विधि के द्वारा विहित अधिकतम दण्ड आरोपीगण को आरोपित किया जाए। बचाव पक्ष अधिवक्ता ने दण्ड के प्रश्न पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए यह व्यक्त किया कि आरोपिया आरती महिला है अभिरक्षा के दौरान जेल में आरती के एक सन्तान भी उत्पन्न हुयी है जो कि उसके साथ जेल में ही है एवं आरोपी डी0पी0 उर्फ बरेलाल नवयुवक है । आरोपीगण समाज के गरीब तबके के लोग है । उनके विरुद्ध पूर्व की कोई भी दोषसिद्ध प्रमाणित नहीं है । विचारण के दौरान आरोपीगण लगातार न्यायिक अभिरक्षा में हैं । इस आधार पर न्यूनतम दंड से दंडित किये जाने का निवेदन किया है।

38. वर्तमान प्रकरण का जहाँ तक प्रश्न है, प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति को देखते हुए तथा आरोपीगण जिनका कि कोई पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड होना भी प्रमाणित नहीं है को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान प्रकरण बिरल से बिरलतम मामलों की श्रेणी में नहीं आता है जो कि इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा **ए.आई. आर. 1980 एस.सी. 898 बचनसिंह विरुद्ध पंजाब राज्य एवं ए.आई.आर. 1993 एस.सी. 947 माचीसिंह बनाम पंजाब राज्य** में बिरल से बिरलतम प्रकरणों की स्थिति दर्शाई गई है। वर्तमान प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों एवं प्रकृति को देखते हुए प्रकरण बिरल से बिरलतम की श्रेणी में आना नहीं माना जा सकता।

39. फलतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों एवं प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण जिन्हें कि धारा 302 एवं 201 भा.दं.वि. एवं धारा 177 एवं 193 भा0दं.वि0 के अपराध में दोषसिद्ध ठहराया गया है। आरोपिया आरती एवं आरोपी डी0पी0 उर्फ बरेलाल प्रत्येक को धारा 302 भा.दं.वि. के अपराध हेतु आजीवन कारावास एवं 2000-2000/- रूपए अर्थदण्ड से तथा धारा 201 भा0दं.वि0 के अपराध हेतु प्रत्येक आरोपी को तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500-500/- रूपए के अर्थदण्ड से एवं धारा 193 भा0दं.वि0 में प्रत्येक आरोपी को तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500-500/- रूपए के अर्थदण्ड से एवं धारा 177 भा0दं.वि0 हेतु प्रत्येक आरोपी को एक एक वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया जाता है । अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में कमशः 6 माह एवं 3 माह एवं 3 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगताई भ्जाए।

40. आरोपीगण के द्वारा प्रकरण के अनुसंधान, जाँच व विचारण के दौरान न्यायिक निरोध में बिताई गई अवधि उनकी मूल सजा में समायोजित की जाए। इस संबंध में धारा 428 दं.प्र.सं. का प्रमाणपत्र पृथक से बनाए जाए।

41. प्रकरण में जप्त सुदा सीलबंद डिब्बे में बिसरा एवं बंद पोटली, नमक का घोल और सील नमूना मूल्य हीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट की जायें अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश अनुसार उक्त जप्त सुदा वस्तुओं का निराकरण किया जाये

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित  
हस्ताक्षरित एवं घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी.सी.थपलियाल)  
अपर सत्र न्यायाधीश  
गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0

(डी.सी.थपलियाल)  
अपर सत्र न्यायाधीश  
गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)